

**न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु कृषक पंजीकरण प्रारूप
(रबी विपणन वर्ष 2018-19)**

नोट : जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके हैं उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है | नये पंजीकरण हेतु स्टार (*) द्वारा चिन्हित सभी बिंदु भरना अनिवार्य है |

1. किसान का व्यक्तिगत विवरण

1. किसान का नाम (हिंदी) *		2. किसान का नाम (अंग्रेजी) *	
3. जेंडर *	महिला/पुरुष	4. पिता/पति का नाम (हिंदी) *	
5. पिता/पति का नाम (अंग्रेजी) *		6. सम्बन्ध *	पिता/पति
7. श्रेणी * (जो लागू न हो काट दें)	सामान्य/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग	8. आधार की स्थिति * (जो लागू न हो काट दें)	आधार संख्या उपलब्ध है / आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध है /दोनों में से कोई उपलब्ध नहीं
9. आधार संख्या/ आधार पंजीयन संख्या		10. मोबाइल नम्बर *	
11. मोबाइल नम्बर (अतिरिक्त)			

2. किसान के पते का विवरण

1. किसान का जिला *		2. किसान का क्षेत्र *	ग्रामीण/नगरीय
3. तहसील *		4. टाउन / ग्राम पंचायत *	
5. वार्ड / ग्राम *			

3. किसान के बैंक खाते का विवरण

1. बैंक के जिले का नाम *		2. बैंक का नाम *	
3. बैंक शाखा का नाम *		4. बैंक खाता संख्या *	

4. किसान की भूमि का विवरण (कृपया प्रत्येक भूमि का विवरण पृथक पंक्ति में भरें)

क्र०	जिला *	तहसील *	ब्लॉक *	ग्राम *	खतौनी/खाता संख्या *	प्लाट/खसरा संख्या *	कुल रकबा (हेक्टेयर) *	फसल (गेहूँ) का रकबा (हेक्टेयर) *
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

नोट :- कृपया पंजीकरण प्रपत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्र संलग्न कर गेहूँ विक्रय के समय खरीद केंद्र पर अवश्य ले जाएँ :-

1. जोतबही / खाता नम्बर अंकित कमप्यूटराइज़्ड खतौनी
2. आधार / फोटोयुक्त पहचान पत्र
3. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें खाता धारक का विवरण अंकित हो) की छाया प्रति
4. एक अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो